

पत्रांक-

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार,  
जन-सम्पर्क पदाधिकारी।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,  
जल संसाधन विभाग, वीरपुर (सुपौल)।

/ पटना, दिनांक-

विषय- प्रकाशन के कम में सूचना वापस हो जाने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक- 72 दिनांक- 09.01.2024 एवं पत्रांक-106 दिनांक-10.01.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रकाशन हेतु प्राप्त करायी गई **Short Term Re-Tender Invitation of BIDS (IFB)** सूचना को निम्न **Rejection Remarks** के साथ सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा वापस कर दी गयी है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर भेजा जाता है:-

**Rejection Remarks-** Some changes has to be done.

सूचनार्थ।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रशान्त कुमार)

जन-सम्पर्क पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 76

दिनांक- 12/01/2024

प्रतिलिपि- प्रमारी पदाधिकारी, WRD सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि विभागीय जन-सम्पर्क कोषांग के पत्रांक- 59, दिनांक 09.01.2024 द्वारा पूर्व में भेजी गयी सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य कारणवश समाचार पत्रों में नहीं होने के कारण विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने की कार्रवाई तत्काल स्थगित करना चाहेंगे।

(प्रशान्त कुमार)

जन-सम्पर्क पदाधिकारी।